आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–10 / 2024

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में महिला पर्यवेक्षिका, श्रीमती शशिलता कुजूर, पूर्वी सिंहभूम उपस्थित।

इस वाद में महिला पर्यवेक्षिका, जमशेदपुर, श्रीमती शशिलता कुजूर उपस्थित होकर यह बता रहीं हैं कि परिवादी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् आर्थिक लाभ पाने की अहर्ता पूरी नहीं करती हैं। अतः उन्हें आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। क्योंकि उन्होंने दूसरे बच्चे के लिये लाभ पाने के लिये आवेदन किया है, लेकिन सरकार के संकल्प के अनुसार दूसरा संतान बेटी होने पर ही लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि शिकायतकर्ता को दूसरा संतान पुत्र हुआ है। इस बीच सुनवाई में दूरभाष पर उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने पहले संतान जो पुत्र हुआ था, उसके लिये भी आर्थिक लाभ लेने के लिये आवेदन किया था, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया। आयोग में उपस्थित महिला पर्यवेक्षिका, श्रीमती शशिलता कुजूर का भी मानना है कि शिकायतकर्ता ने पहला आवेदन दिया था, जो कार्यालय में उपलब्ध है। श्रीमती कुजूर आयोग को यह कह रहीं हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शिकायतकर्ता को किस बैंक अकाउंट में भुगतान किया गया है अथवा नहीं किया गया है।

आयोग इसे बहुत ही गंभीर विषय मानता है, क्योंकि जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ऐसे में जो जानकारी एक फिंगर टिप पर हो जाना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होने की बात कहना स्वीकार योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित कई शिकायतें आयोग को मिल रही हैं और जिले से आ रहे पदाधिकारी यह कहते हैं कि सब कुछ विभाग के स्तर से होता है। अतः उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है।

ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दें और निदेशक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित सभी विषयों के विवरण के साथ उपस्थिति हो, ऐसा निर्देश निर्गत करें।

आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जमशेदपुर को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा पहले संतान के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के आवेदन देने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होने का जिम्मेवार कौन है ? यदि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में जिम्मेवार कर्मी या अधिकारी को चिन्हित नहीं किया, तो आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

धाराओं के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।